"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2010—पौष 25, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर तथा अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम को केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के प्रभार से मुक्त करते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. सुश्री शहला निगार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2000 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण (Mid-Career Training)-(Phase-III) की समाप्ति तिथि से अर्थात् दिनांक 7-8-2009 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एम. एस. परस्ते (सीजी: 2000)	कलेक्टर, बस्तर	कलेक्टर, बस्तर
2.	श्री एस. के. जायसवाल (सीजी: 2000)	कलेक्टर, जशपुर	कलेक्टर, जशपुर
3.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल (सीजी: 2000)	कलेक्टर, कोरबा	कलेक्टर, कोरबा
4.	श्री एन. एस. मण्डावी (सीजी: 2000)	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.
5.	श्री डी. डी. सिंह (सीजी: 2000)	सचिव, छ. ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर.	सचिव, छ. ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर.
6.	श्री एस. पी. शोरी (सीजी: 2000)	उप सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, सम्पदा.	संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, सम्पदा.
7.	श्री टी. सी. महावर (सीजी: 2000)	कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	कलेक्टर, जांजगीर-चांपा
8.	श्री एल. एस. केन (सीजी: 2000)	कलेक्टर, नारायणपुर	कलेक्टर, नारायणपुर
9.	श्री रामसिंह ठाकुर (सीजी: 2000)	कलेक्टर, दुर्ग	कलेक्टर, दुर्ग

2. श्री एन. एस. मण्डावी, भा. प्र. से. एवं श्री डी. डी. सिंह, भा. प्र. से. द्वारा निम्नांकित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत क्रमशः प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर एवं सचिव, छ. ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के असंवर्गीय पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1538/1070/2009/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 21-12-2009 से 26-12-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री ए. के. टोप्पो के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के.आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. टोप्पो को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1540/1053/2009/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 21-12-2009 से 30-12-2009 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1572/1103/2009/1-8/स्था.—श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 7-11-2009 से 5-12-2009 तक 29 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर केसवानी को अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर केसवानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

क्रमांक 3176/1086/2009/1-8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-12-2009 से 8-1-2010 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री एम. एम. मिंज के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एन. के. भट्टर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एम. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1590/1104/2009/1-8/स्था.— श्री विलियम कुजूर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26-12-2009 से 2-1-2010 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विलियम कुजूर को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विलियम कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

क्रमांक 1592/1137/2009/1-8/स्था.— श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 14-12-2009 से 17-12-2009 तक 04 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक/25/F 7-9/32/09.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 7-9/32/2009 दिनांक 07-11-2009 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्ग फुट में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तेलीबांधा	64/2, 65/2	4500.00	जलाशय	आवासीय
	(रायपुर)	64/4, 65/3	900.00	जलाशय	आवासीय
		64/3	4725.00	जलाशय	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पूनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (पूनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 16 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 30 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 संन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	खैरबना प. ह. नं. 59	0.173	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला कबीरधाम (छ. ग.)	मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर नाली में अर्जित भूमि हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक/128/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आतरगांव प. ह. नं. 59	2.254	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बायीं तट नहर के आतरगांव माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक/129/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	चिचदो प. ह. नं. 13	6.758	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के लघु नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक/130/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पदगुड़ा प. ह. नं. 58	0.664	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बायीं तट नहर के निर्माण हेतु (अनुपूरक प्रकरण).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जैतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
803/2	0.09
803/3	0.11
804/1	0.05
804/2	0.05
804/3	0.05
804/4	0.05
805/1	0.05
820/2	0.17
825/1	0.01
825/2	0.06
825/3	0.04
825/4	0.02
826/5	0.20
829/1 क	0.11
829/1 ख	0.08
829/2	0.14
831/1	0.08
831/2	0.06
831/3	0.07
831/4	0.09
845/5	0.27
योग 21	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर नदी सेतू पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

क्रमांक/2086/24-अ/82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मार्री, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.876 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
391/2	0.160
389/2	0.020
389/1	0.010
414, 417/1	0.080
419/2	0.100

	(1)	(2)
	426/3	0.160
	424	0.040
	390	0.060
	391/1	0.160
	265	0.020
	419/1	0.020
	426/1	0.010
	425	0.020
	416	0.016
योग	15	0.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डी-लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

क्रमांक/2089/अ/82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डी
(ग) नगर/ग्राम-अरमुरकसा, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.27 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7	3.36
	8	0.35
	2	0.24
	6	0.32
योग	04	4.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहरनाली एवं रपटा निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डी-लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 जनवरी 2010

क्रमांक/36/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-गभरा, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
243/1	0.22
243/6	0.05
243/3	0.20
243/4	0.25

	(1)	(2)
	243/2	0.22
	243/7	0.12
	246/2	0.17
	246/1	0.60
	247	0.05
	253/1	0.21
	284/1	0.50
	263	0.34
	251	0.67
	265/1	0.11
	264	0.21
	265/2	0.01
	281/1	0.48
	254/1	0.10
	286	0.02
	254/2	0.39
	280/2	0.33
	280/1	0.33
	285/4	0.11
	253/2	0.05
	285/3	0.11
योग	25	5.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेडरा जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक/125/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-घोरदा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.643 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	51/7	0.048
	51/6	0.081
	51/4	0.145
	51/2	0.120
	51/5	0.004
	51/3	0.064
	48/1	0.215
	39/1	0.069
	39/2	0.069
	39/3	0.036
	47	0.132
	46	0.224
	44/6	0.020
	44/5	0.012
	44/4	0.004
	54/1	0.235
	48/3	0.165
योग		1.643

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक/126/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-मिरचे, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.772 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
510/1	0.154
510/2	0.162
510/4	0.105
510/3	0.142
81/1	0.287
96/4	0.085
801/1	0.129
339	0.433
22	2.120
86	0.016
357	0.230
87	0.016
547/1	0.032
547/3	0.089
547/2	0.032
547/5	0.077
547/4	0.117
559/1	0.809
559/7	0.607
553/7	0.364
580/3	0.045
490	0.405
21	0.036
85	0.121
92	0.040
88	0.016
338/2	0.393
96/3	0.231
792	0.272
830/2	0.324
789/2	0.155
19/4	0.219
19/5	0.219
19/6	0.227
565/18	0.040
565/19	0.121
565/28	0.065
331/1	0.036
565/29	0.049
565/17	0.097
331/2	0.016
5	0.080
565/36	0.093
331/3	0.016
305	0.060
578/2	0.077
583	0.106
584	0.101
828/1	0.332
802/1	0.218
565/10	0.202
338/1	0.235
571	0.061
222/1	0.450
517/1	0.475
93	0.040
789/1	0.149
559/4	0.243
559/5	0.184
559/8	0.665
510/5	0.101
331/4	0.012
335/2	0.415
830/2	0.324
योग 64	13.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र निर्माण कार्य हेतु (अनुपूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर-492001

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2009

क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचा./09/समय-अनुसूची/2922.—राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचायत/09/समय-अनुसूची/2810, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं आदेश क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचायत/09/समय-अनुसूची/2886, दिनांक 27 दिसम्बर 2009 द्वारा पंचायत के आम निर्वाचन हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया था. कुछ जिलों से स्थानीय विषयों को लेकर मतदान चरणों में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है. जिसके फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है. स्वच्छ एवं निर्विध्न चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, उक्त आदेश के परिशिष्ट के क्रमांक 8, 13 और 16 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र. (1)	जिला (2)	क्र. (3)	प्रथम चरण (4)	क्र. (5)	द्वितीय चरण (6)	क्र. (7)	तृतीय चरण (8)
8.	रायपुर	1.	फिंगेश्वर	1.	अभनपुर	1.	आरंग
		2.	कसडोल	2.	भाटापारा	2.	गरियाबंद
		3.	तिल्दा	3.	सिमगा	3.	मैनपुर
		4.	धरसींवा	4.	पलारी	4.	छुरा
		5.	देवभोग	5.	बलौदाबाजार	5.	बिलाईगढ़
13.	कबीरधाम	1.	कवर्धा	1.	बोड़ला		
		2.	सहसपुर-लोहारा	2.	पंडरिया		
16.	उ. ब. कांकेर	1.	अंतागढ़	1.	दुर्गकोंदल	1.	नरहरपुर
		2.	कोयलीबेड़ा	2.	भानूप्रतापपुर	2.	कांकेर
						3.	चारामा

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2009

क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचा./09/समय-अनुसूची/2924.—राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचायत/09/समय-अनुसूची/2810, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 द्वारा पंचायत के आम निर्वाचन हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया था. स्वच्छ एवं निर्विध्न चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कंडिका 7 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है. जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 घ के तहत मतदान के समय में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र. (1)	जिला (2)	जनपद पंचायत (3)	मतदान का समय (4)
1.	कांकेर	अंतागढ़	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		कोयलीबेड़ा	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		दुर्गकोंदल	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		भानूप्रतापपुर	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	बीजापुर	भोपालपट्नम	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		बीजापुर	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		उसूर	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		भैरमगढ़	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		गीदम	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		छिन्दगढ़	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		सुकमा	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		कटेकल्याण	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		कुआकोण्डा	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		कोण्टा	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
4.	नारायणपुर	नारायणपुर	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		ओरछा	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 52-2/तीन (एक)-18/पंचा./फोयुप/2009/83.—छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2010 में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्देश देता है कि पंचायतों के निर्वाचकों को पीठासीन अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर साधारण निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :—

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र,

(2) बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक,

(3) शस्त्र लायसेंस,

(4) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि,

(5) फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र,

(6) पासपोर्ट,

(7) ड्राइविंग लायसेंस,

(8) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन. कार्ड),

(9) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिकी संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,

(10) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड,

(11) फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र,

(12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(13) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित आदि फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(14) स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र,

(15) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड),

(16) भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका फोटोयुक्त (किसान किताब),

(17) फोटोयुक्त राशन-कार्ड (जो प्रचलन में हो),

(18) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची.

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दर्शाए गए किसी दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, जो परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये उपयोग हेतु अनुमति दी जाएगी. जिन निर्वाचकों के पहचान के संबंध में अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा मतदान केन्द्र में आक्षेप किया जाता है, ऐसे निर्वाचकों को अपने पहचान स्थापित करने के लिये उपरोक्त दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.

डी. डी. सिंह,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd December 2009

No. 190/L. G./2009/II-2-12/2009.—The earned leave for one day on 24-12-2009 along with permission to leave headquarters, which was granted to Shri A. K. Goyal, Special Judge, Atrocities, Raipur, vide Registry order No. 185/II-2-12/2009, dated 14-12-2009, has been cancelled on the basis of his application dated 16-12-2009.

After crediting of the aforementioned leave, 215 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th December 2009

No. 191/L. G./2009/II-3-20/2007.—Shri Shivmangal Pandey, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 13 days from 18-01-2010 to 30-01-2010 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pandey, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 226 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th December 2009

No. 193/L. G./2009/II-2-3/2005.—Shri C. L. Patel, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby granted earned leave for 02 days from 01-01-2010 to 02-01-2010 along with permission to remain out of headquarters, in continuation of his earlier sanctioned winter vacation from 28-12-2009 to 31-12-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Patel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+12 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.